न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **डॉ. मंजू,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 034/2023 (रा.प्रा.पत्र)
पंजीयन दिनांक 07.08.2023
G.C.M.S. NO. :- 2023/216

हिम्मतसिंह पिता निर्भयसिंह जाति राजपूत, उम्र वयस्क, पेशा मजदूरी एवं खेती, निवासी हांसला, तहसील बस्सी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

1–प्रतापसिंह पिता निर्भयसिंह जाति राजपूत, उम्र वयस्क, पेशा खेती, निवासी हांसला, तहसील बस्सी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3–शाखा प्रबन्धक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा गोपालनगर, चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) भू आवंटन नियम, 1970 विरूद्ध आदेश भू आवंटन सलाहकार समिति, उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ बमामले प्रकरण संख्या 1744/98 दिनांक 02.02.1999

उपस्थितिः–1– श्री दिनेश चन्द्र दायमा, अधिवक्ता प्रार्थी
2– श्री मुकेश सारस्वत, अधिवक्ता वि. सं. 3

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्र. सं. 034/2023 (रा.प्रा.पत्र)
प्रतापसिंह पिता निर्भयसिंह राजपूत निवासी हांसला, तहसील बस्सी, जिला चित्तौड़गढ़ बनाम प्रतापसिंह पिता निर्भयसिंह राजपूत निवासी हांसला, तहसील बस्सी, जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा

निर्णय

दिनांक 12.05.2026

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू आवंटन नियम, 1970 के तहत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ भू आवंटन कमेटी द्वारा विपक्षी संख्या 1 को ग्राम रघुनाथपुरा की आराजी नम्बर 90/5 में से 1.00 हैक्टैयर किस्म बारानी-।। भूमि पटवारी हल्का सादी-।। की गलत रिपोर्ट के आधार पर बिना किसी जांच पड़ताल के दिनांक 02.02.1999 को आवंटित कर दिया। प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 का संयुक्त रूप से ग्राम रघुनाथपुरा की आराजी नम्बर 90 के रकबा 2.16 हैक्टेयर पर कब्जा काश्त होते हुए भी विपक्षी संख्या 1 ने अकेले अपने नाम 1.00 हैक्टेयर भूमि आवंटित कराने में वैधानिक त्रुटि की है। विपक्षी संख्या 1 को किया गया आवंटन अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर विपक्षी संख्या 1 को किया गया आवंटन निरस्त फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री भैरूलाल सालवी एवं विपक्षी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार सारस्वत ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। विपक्षी संख्या 2 भूमिधारी तहसीलदार है। दौराने बहस विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। संबंधित भू आवंटन पत्रावली तलब की गई। पत्रावली प्राप्त होने एवं उभय पक्ष के बहस हेतु सहमत होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ भू आवंटन कमेटी द्वारा विपक्षी संख्या 1 को ग्राम रघुनाथपुरा की आराजी नम्बर 90/5 में से 1.00 हैक्टैयर किस्म बारानी-।। भूमि पटवारी हल्का सादी-।। की गलत रिपोर्ट के आधार पर बिना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किसी जांच पड़ताल के दिनांक 02.02.1999 को आवंटित कर दी। प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 का संयुक्त रूप से ग्राम रघुनाथपुरा की आराजी नम्बर 90 के रकबा 2.16 हैक्टेयर पर कब्जा काश्त होते हुए भी विपक्षी संख्या 1 ने अकेले अपने नाम 1.00 हैक्टेयर भूमि आवंटित कराने में वैधानिक त्रुटि की है। राजस्व रेकार्ड एवं दस्तावेजी साक्ष्य से प्रार्थी भूमिहीन सद्भावी कृषक पूर्णरूप से प्रमाणित होते हुए भी अकेले विपक्षी संख्या 1 के नाम आवंटन करा अवैधानिक कृत्य होकर आवंटन निरस्त योग्य है। पटवारी हल्का सादी–।। की रिपोर्ट भी संदिग्ध एवं अपूर्ण होकर मौके की स्थिति के विपरीत अकेले विपक्षी का ही कब्जा काश्त दर्शाकर प्रार्थी की अनुपस्थिति में उक्त पटवारी रिपोर्ट तैयार की गई है क्योंकि पटवारी रिपोर्ट किस दिनांक को एवं किन–किन व्यक्तियों के समक्ष तैयार की गई है इसका रिपोर्ट में कोई विवरण अंकित नहीं है। प्रार्थी का उक्त विवादित आराजीयात पर वर्ष 1981 से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। अतः विपक्षी संख्या 1 को जो आवंटन किया है वह विधि–विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 को किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 ने जवाब पेश किया कि विपक्षी संख्या 1 को भूआवंटन पूर्णतया विधि अनुसार सम्पूर्ण जांच के बाद हुआ है जो विधिवत सही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। भू–आवंटन कमेटी द्वारा आवंटित भूमि की शर्तों की विधिवत पालना करने से उक्त भूमि विपक्षी संख्या 1 के खातेदारी में दर्ज हो चुकी है प्रार्थी का आवंटित आराजीयात आराजी नम्बर 90 पर कभी किसी प्रकार का कोई कब्जा–काश्त नहीं रहा है और ना ही आज है मात्र विपक्षी संख्या 1 को परेशान एवं जलील करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी सीमेंट फैक्ट्री में स्थायी रूप से कार्यरत था और आज भी नियमित रूप से वह जे. के. सीमेंट का स्थायी कर्मचारी है इसलिए प्रार्थी आवंटन की योग्यता नहीं रखता था। विपक्षी संख्या1 को किया गया आवंटन वर्ष 1998 का है तभी से विपक्षी संख्या 1 का कब्जा चला आ रहा है आवंटन के 25 वर्ष पश्चात् यह प्रार्थना पत्र बिना किसी आधार के पेश किया जो निरस्त योग्य है। विपक्षी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संख्या 1 उसको आवंटित भूमि का खातेदार है तथा विवादित भूमि वर्तमान में बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक गोपालनगर के यहां रहन दर्ज है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरर्थक होने से निरस्त फरमावें।

विद्वान अधिवक्ता विपक्षी सं. 3 का मुख्य कथन यह रहा कि विवादित भूमि विपक्षी संख्या 1 को विधिवत् आवंटन होकर कई वर्षों पूर्व ही उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं वर्तमान में उक्त भूमि विपक्षी संख्या 1 के खातेदारी में दर्ज होकर वह खातेदार काश्तकार है। विपक्षी संख्या 1 का उक्त भूमि पर निरन्तर कब्जा-काश्त होकर विपक्षी उत्तरदाता बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक ने विधि अनुसार विपक्षी संख्या 1 के खातेदारी अधिकार एवं राजस्व रेकार्ड तथा उसके भौतिक कब्जे को देखकर एवं पूर्ण संतुष्टि उपरान्त उसे उक्त भूमि पर ऋण सुविधा प्रदत्त कर रखी है। प्रार्थी का उक्त विवादित आराजीयात पर किसी प्रकार का कोई कब्जा-काश्त नहीं है। प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में मौजा रघुनाथपुरा की आराजी नम्बर 90 में से 1.00 हैक्टैयर भूमि जो विपक्षी संख्या 1 को भू आंवटन कमेटी चित्तौड़गढ़ द्वारा आवंटित की गई है जिसका आवंटन निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रथम तो अतिक्रमी के कब्जे की भूमि को ओक्यूपाईड़ भूमि नहीं माना जा सकता है। द्वितीय प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी के आवंटन बाबत कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया, यदि उक्त भूमि पिछले 30 वर्षों से प्रार्थी के कब्जे में थी और प्रार्थी भू आवंटन का पात्र था तो उसे आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहिये था। आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये बिना उसे भूमि आवंटन करने बाबत भू आवंटन सलाहकार समिति विचार नहीं कर सकती। विपक्षी संख्या 1 द्वारा ग्राम रघुनाथपुरा की आराजी नम्बर 90 में से भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया एवं बाद जांच भूआवंटन सलाहकार समिति की राय पर उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ ने उक्त भूमि आराजी नम्बर 90 रकबा 5.45 हैक्टेयर में से 1.00 हैक्टेयर भूमि विपक्षी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संख्या 1 को आवंटित की एवं आवंटित भूमि का उन्हें कब्जा सिपुर्द किया गया।

यदि आवंटित भूमि पर प्रार्थी का आवंटन से पूर्व ही संयुक्त रूप से कब्जा-काश्त था तो उसे भी नियमानुसार उक्त भूमि के आवंटन हेतु आवेदन कर भूमि आंवटन/नियमन करानी चाहिए थी जो कि प्रार्थी के द्वारा नहीं करवाई गई तथा न ही उक्त भूमि आवंटन करने हेतु विपक्षी संख्या 1 द्वारा आवेदन पेश करने पर आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति पेश की। साथ ही प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे उक्त विवादित आवंटित आराजीयात पर प्रार्थी के कब्जे-काश्त संबंधी कथन की पुष्टि होती हो तथा न ही ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किया है जिससे आवंटन की प्रक्रिया में कोई गलती करने संबंधी कथन की पुष्टि होती हो।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित अन्य तथ्यों को भी प्रमाणित नहीं कराया है। प्रार्थी द्वारा मात्र प्रार्थना पत्र में आवंटन से पूर्व उसका संयुक्त कब्जा-काश्त होने संबंधित कथन कर देने या तथ्य वर्णित कर देने के आधार पर लगभग 25 वर्ष पुराना आवंटन निरस्त किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

विपक्षी संख्या 1 द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना करने से ही वर्तमान आराजी नम्बर 90/109 रकबा 1.00 हैक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 1 के खातेदारी में दर्ज हो चुकी है तथा आवंटी को उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके हैं और खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात् विपक्षी संख्या 1 ने उक्त भूमि विपक्षी संख्या 3 के पक्ष में रहन रखी है। विपक्षी संख्या 1 उसे आवंटनशुदा भूमि के खातेदार हैं और खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात् आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(डॉ. मंजू)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official